मंगल बनाम राजस्थान सरकार
17/2020
निर्णय :– 04.12.2024

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:– 17/2020 दर्ज तिथि:– 06.03.2020

1. मंगल पुत्र रामसहाय
2. जगदीश पुत्र रामसहाय
3. निरंजन पुत्र रामसहाय
4. मु0 शांति देवी पत्नि कल्याणसहाय
5. मुकेश पुत्र कल्याणसहाय
6. मदनमोहन पुत्र कल्याणसहाय
7. राजेश पुत्र कल्याणसहाय

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी खौहरी पटवार हल्का खौचपुरी तहसील महवा जिला दौसा

............वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा
2. मुन्नी देवी पत्नि रमेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी खौहरी तहसील महवा जिला दौसा

...........प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

वादी अधिवक्ता:– श्री सत्यनारायण शर्मा

प्रतिवादी अधिवक्ता :– राजस्थान सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

Manisha
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि:– 04.12.2024

वादीगण के वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खौहरी पटवार हल्का खौचपुरी तहसील महवा की विवादित आराजी खसरा नम्बर 362/771/0.65, 366/1.93, 368/772/0.56, 376/0.77, 378/3.05, 379/1.70 कुल किता 6 रकबा 8.66 हैक्टेयर है। आराजी में वर्णित वादपत्र के वादी नं. 1 लगायत 07 11/42 भाग के खातेदार टीनेन्ट एवं कब्जा काश्त आराजी थे। प्रतिवादीया नं. 2 ने दिनांक 15.06.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा में वादी नं. 1 से उसके हिस्सा 11/168 भाग का 1/9 भाग को व वादी नं. 2 के 11/168 भाग का 1/9 भाग को एवं वादी नं. 4 के हिस्सा 11/672 भाग का 3/7 भाग को क्रय कर लिया तथा क्रय किये भाग पर क्रेता प्रतिवादिया नं. 2 ने अपना कब्जा प्राप्त कर लिया। पटवारी हल्का खौचपुरी को द्वारा प्रतिवादिया नं. 2 का हिस्सा का नामान्तकरण संख्या 541 खोल कर जमाबंदी में अमल कर दिया। पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल दिनांक 02.08.2018 को प्राप्त की तो पता चला कि पटवारी ने प्रतिवादिया का हिस्सा ही गलत कर दिया है। प्रतिवादियां न. 2 ने नामांतकरण की नकल प्राप्त की तो पता चला कि नामान्तकरण में प्रतिवादिया नं. 2 हिस्सा 3/7 बना दिया है जो गलत है। गलत नामान्तकरण का इन्द्राज भी जमाबंदी में भी कर दिया गया। उक्त गलती को दुरूस्त करने का निवेदन दिनांक 25.11.2019 को किया तो उन्होने दुरूस्त व शुद्ध करने से स्पष्ट मना कर दिया। दावा घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राजात का डिक्री किया जाकर घोषणा फरमायी जावे कि आराजी खसरा नम्बर 362/771/0.65, 366/1.93, 368/772/0.56, 376/0.77, 378/3.05, 379/1.70 कुल किता 6 रकबा 8.66 हैक्टेयर वाके ग्राम खौहरी तहसील महवा के वादिया मुन्नी देवी पत्नि रमेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी खोहरी 913/42336 भाग की तथा वादी नं. 1 मंगल पुत्र रामसहाय हि0 11/168 के स्थान पर 88/1512, वादी नं. 2 जगदीश पुत्र रामसहाय हि0 11/168 के स्थान पर 88/1512 तथा वादी नं. 4 शांति देवी पत्नि कल्याण सहाय जाति ब्राहम्ण निवासी खोहरी का हिस्सा 11/672 के स्थान पर 44/4704 की खातेदार टीनेन्ट एवं कब्जा काश्त आराजी है शेष खातेदारान का नाम व हिस्सा बदस्तुर रखा जावे। वादीगण नं. 1, 2, 4 का हिस्सा उक्तानुसार जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राजात करने के आदेश प्रतिवादी नं. 1 लैण्ड होल्डर तहसीलदार महवा को दिये जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 01 सरकार पैरोकार एवं प्रतिवादी संख्या 2 के उपस्थित होने के बाद अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

,नं. 2 जगदीश का शपथ पेश किया तथा वकील वादी अन्य साक्ष्य कराना नही चाहते है। लिए साक्ष्य बंद की जाती है।

हमने वकील वादी की बहस सुनी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं त्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली मे शामिल दस्तावेज के आधार पर वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है कि वादपत्र में वर्णित खसरा नं. आराजी खसरा नम्बर 362/771/0.65, 366/1.93, 368/772/0.56, 376/0.77, 378/3.05, 379/1.70 कुल किता 6 रकबा 8.66 हैक्टेयर वाके ग्राम खोहरी तहसील महवा में विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2018 के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सेनुसार अंकन किया जावे। शेष रहन आदि की प्रविष्टियां/इन्द्राज यथावत रखे जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखित दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.12.2024 को लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा रेशम आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
महवा दौसा